

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-रुकमणि रियार सिहाग, आई.एस.

प्रकरण संख्या:-40/2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड, 201-202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कावायर-मान सरोवर, औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जसिये प्राधिकृत अधिकारी सेवाराम मोदी शाखा प्रमारी, हनुमानगढ़।

--प्रार्थी

विरुद्ध

1. बेगराज सिंह पुत्र श्री भंवरलाल निवासी वार्ड नंबर 03, नई खुंजा, पंचायत घर के सामने, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. चम्पादेवी पत्नी बेगराज सिंह निवासी वार्ड नंबर 03, नई खुंजा, पंचायत घर के सामने, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुनील कुमार पुत्र बेगराज सिंह निवासी वार्ड नंबर 03, नई खुंजा, पंचायत घर के सामने, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. प्रेमपाल पुत्र बनाराम निवासी 689, वार्ड नं. 06, सोरगार मोहल्ला मककारर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

--अप्रार्थी/सहऋणी



--गारपटीदाता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 विलीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश

दिनांक:-02.08.2023

प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड, 201-202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कावायर मानसरोवर, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर जसिये प्राधिकृत अधिकारी सेवाराम मोदी शाखा प्रमारी, हनुमानगढ़ की ओर श्री भवानी सिंह निर्बाण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड प्रार्थी की एक विलीय कम्पनी है जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ है जिसका पंजीकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कावायर मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी हाऊसिंग फाईनेन्स के व्यवसाय में कार्यरत है तथा नेशनल हाऊसिंग बैंक अधिनियम 1986 के निर्धारित मानदण्डों से अधिशोषित है। प्रार्थी कम्पनी आवासीय गृहों की खरीद, निर्माण एवं गृहों के विस्तार से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्त सुविधा प्रदान करती है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने प्रार्थी कम्पनी से दिनांक 20.10.2018 को राशि 7,00,000/-रुपये व दिनांक 30.12.2019 को 3,50,000/-रुपये व दिनांक 26.12.2020 को 2,50,000/- रुपये का ऋण जसिये चैक प्राप्त किया था। अप्रार्थीगण ने आवश्यकतानुसार व विधि द्वारा अपेक्षित ऋण दस्तावेज प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में निष्पादित किये। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज व खर्च के पुनः भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपने स्वामित्व की अवल

W

सम्पत्ति निर्मित आवासीय भूखण्ड साईज 109.55 वर्गफीट वाके पट्टा नं. 03, नई खुंजा, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ को प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में शान्तिक बन्धक किया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 ने ऋण करार के अनुसार नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 04.12.2022 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर प्रार्थी कम्पनी के द्वारा उपरोक्त ऋणियों का ऋण खाता एनपीए घोषित कर दिया गया।

प्रार्थी कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 07.12.2022 को धारा 13(2) सारफंकी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 09.12.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर राशि 12,28,420/-रूपये का भुगतान 60 दिवस में करने हेतु सूचित किया व यह नोटिस इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 06.12.2022 को प्रकाशित करवाया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के उक्त ऋण में दिनांक 06.12.2022 तक कुल ऋण राशि 12,28,420/-रूपये अतिरिक्त ब्याज, खर्च व लागत आदि मर्दा में बकाया है जिसका भुगतान करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 जिम्मेवार है।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वणित रहन शुदा अवल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि बसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण ऋणी व सहऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी कम्पनी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक अवल सम्पत्ति निर्मित आवासीय भूखण्ड साईज 109.55 वर्गफीट वाके पट्टा नं. 03, नई खुंजा, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ व उस पर निर्मित मकान का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।




जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़